[22/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 5240]

परिशिष्ट "...." प्रश्न क्रमांक - 5240

63. कोटवार के कर्तव्य.— कोटवार के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

(एक) अपने ग्राम में निवास करना अथवा यदि वह एक से अधिक ग्रामों का प्रभारी है तो ऐसे ग्राम में रहना जो तहसीलदार द्वारा उसके निवास के लिए नियत किया गया हो तथा समुचित छुट्टी के बिना अनुपस्थित न रहना सिवाय तब के जब ऐसी अनुपस्थिति इन नियमों द्वारा या इनके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए हो;

(दो) समस्त शासकीय अधिकारियों को उनके पदीय कर्तव्यों के सम्यक् क्रियान्वयन में सहायता करना;

(तीन) निस्तार अधिकारों अथवा शासकीय सम्पत्ति के दुरुपयोग तथा ग्राम की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की पटवारी को रिपोर्ट देना तथा उनकी रक्षा व नियमानुसार उपयोग में पटवारी की सहायता करना;

(चार) ग्रामवासियों के गृहों एवम् सम्पत्ति की चौकसी तथा देखरेख करना, उस प्रयोजन के लिए ऐसा पहरा देना जो तहसीलदार द्वारा विहित किया जाए;

(पांच) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 97 के अनुसार व्यक्ति या सम्पत्ति की निजी प्रतिरक्षा में तथा इस धारा के अधीन या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 43 के अधीन बन्दी किए जाने के भागी किसी भी व्यक्ति को बन्दी बनाने और थाने या हल्के की चौकी पहुंचाने में सहायता करना;

अनुभाग अधिकारी शाखा-4
राजस्व विभाग

निरन्तर - 2 -

–2–

(छह) पुलिस थाने अथवा पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी को निम्नलिखित बातों की तत्काल रिपोर्ट करना—

(क) ग्राम के अंतर्गत चोरी की सम्पत्ति के किसी भी कुख्यात प्रापक या विक्रेता का स्थायी या अस्थायी निवास;

(ख) ऐसे किसी भी व्यक्ति का जिसका कि डकैत, दोषसिद्ध भगोड़ा अथवा उद्घोषित अपराधी होने का उसे ज्ञान है अथवा युक्तियुक्त संदेह है, ग्राम के अंतर्गत किसी स्थान पर प्रश्रय लेने के अथवा उसमें से होकर जाने का तथा उसके ग्राम में या उसके आस पास घूमने वाले गिरोहों की गतिविधियां;

(ग) ग्राम में अथवा उसके आस पास किसी जघन्य अपराध का किया जाना अथवा उसके किए जाने का आशय;

(घ) किसी भी ऐसे दोषसिद्ध या अदोषसिद्ध संदिग्ध का, जिसका नाम पुलिस सन्निरीक्षण रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, घर से चला जाना उसके गंतव्य सहित (यदि ज्ञात हो);

(ड.) किसी संदेहास्पद अजनबी का उसके ग्राम में दिखाई देना ऐसी किसी भी जानकारी के साथ जो उसके पूर्ववृत्त तथा निवास स्थान के बारे में पूछताछ करने पर प्राप्त की जा सके;

(च) ग्राम में या उसके समीप हुई कोई भी आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु या संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मृत्यु की कोई भी घटना;

(छ) विधि व्यवस्था के बनाए रखने अथवा अपराध की रोक अथवा जन या धन की सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला वह कोई अन्य विषय जिसके बारे में जिला दण्डाधिकारी ने राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से की गई व्यापक या विशेष आज्ञा द्वारा उसे सूचना पहुंचाने का निदेश दिया हो;

(सात) पटवारी या उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार को टिड्डियों या फसल नाशक कीटों के दिखाई देने अथवा बाढ़, ओला, रोली या आग इत्यादि से फसलों की किसी भी विस्तृत हानि की रिपोर्ट करना;

(आठ) यदि कलक्टर द्वारा वैसा करने का निदेश दिया गया हो तो पटवारी को ग्राम पशुओं की रोग या, विष या अन्य वन्य जीवों के आक्रमण से हुई मृत्युओं की रिपोर्ट करना;

(नौ) पुलिस थाने अथवा पुलिस चौकी पर ऐसे दिनांकों पर उपस्थित होना जो कलक्टर द्वारा विहित किए ज़ाएं तथा ऐसे पुलिस थाने अथवा पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी की समस्त आज्ञाओं का पालन करना;

अनुभाग अधिकारी
राजस्व शाखा-4

-3-

(दस) समीपतम रेल्वे स्टेशन के स्टेशन मास्टर या समीपतम रेल्वे स्टेशन पर उपलब्ध रेल्वे कर्मचारी वर्ग के किसी भी उत्तरदायी कर्मचारी को भारी वर्षा, अनपेक्षित भारी बाढ़, जल संग्रहों का उमड़ना, सिंचन निर्माणों का क्षतिग्रस्त होना, पुलों में से अत्यंत भारी बहाव, धारा के ऊपरी ओर पानी का अवरोध आदि जैसी किन्हीं भी असाधारण घटनाओं अथवा रेलमार्ग को हानि पहुंचा सकने वाले किसी भी अन्य प्रकार के संकट की तत्परतापूर्वक रिपोर्ट देना।

64. कोटवारों का संयुक्त रूप से अथवा पृथक्–पृथक् उत्तरदायी होना.– जब किसी ग्राम में दो या दो से अधिक कोटवार हों तो वे इन नियमों द्वारा अधिकथित कर्तव्यों का पालन करने के लिए जब तक संयुक्त रूप से तथा पृथक्–पृथक उत्तरदायी होंगे जब तक कि कलक्टर द्वारा प्रत्येक कोटवार के उत्तरदायित्वों की सीमा को परिभाषित नहीं कर दिया जाता।

अध्याय–6

वृक्ष

भाग–क

वृक्षों में अधिकार का क्रय

धारा 179 (2),

65. वृक्षों में अधिकार क्रय करने के लिए भूमिस्वामी द्वारा आवेदन.– धारा 179 की उपधारा (2) के अंतर्गत किसी भूमिस्वामी के आवेदन पत्र में वृक्षों की संख्या तथा उनकी प्रजातियां, वह अधिकार जिसमें वह उन्हें क्रय करना चाहता है तथा उस व्यक्ति का नाम जिसमें वह अधिकार निहित है, निर्दिष्ट किए जाएंगे। उसके साथ खाते से सम्बद्ध खसरा (क्षेत्र पुस्तक) की प्रतिलिपि अथवा उन वृक्षों में विद्यमान अधिकारों को दिखाने वाली किसी अन्य लिखतम के उदाहरण की प्रतिलिपि संलग्न होगी।

66. तहसीलदार द्वारा सूचना तथा उद्घोषणा का जारी किया जाना.– (1) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार उन सभी व्यक्तियों को जिनमें उन वृक्षों का अधिकार निहित है सूचना जारी करेगा। वह ऐसे अधिकारों के प्रस्तावित क्रय के विरूद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करते हुए **प्ररूप–पन्द्रह** में एक उद्घोषणा जारी करेगा।

(2) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, (राजस्व न्यायालयों की प्रकिया) नियम, 2019 के भाग–दो के उपबंधों के अनुसार ऐसी सूचनाएं जारी की जाएंगी व तामील करवाई जाएंगी तथा ऐसी उद्घोषणा जारी की जाएगी।

67. आदेश का पारित किया जाना तथा भू अभिलेखों में प्रविष्टि.– (1) सुनवाई के लिए नियत दिनांक या किसी अन्य दिनांक पर जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाए, तहसीलदार, पक्षकारों का परीक्षण करने तथा प्रस्तुत किए गए अन्य साक्ष्य को सुनने के पश्चात् एक आदेश अभिलिखित करेगा, जिसमें समाविष्ट होंगे,–

अवर सचिव ... शाखा-4